इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2021—आषाढ़ 11, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

शुद्धि—पत्र

क्र. एफ—2—12—2018—सात—शा—7.— शुद्धि—पत्र ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' दिनांक 12 मार्च 2021 भाग 4(ग), पृष्ठ क्रमांक 132 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में संशोधन के हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं
(1)	(2)		(3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
(दो)	132	5	(तीन)
(तीन)	132	5	(चार)
(ii)	132	18	(iii)
(iii)	132	18	(iv)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

सूचना

क्र. एफ 02–02–2020–सात–शाखा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, संहिता की उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

इन नियमों में,–

(1) नियम 94 के उपनियम (2) के परन्तुक में पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा कतिपय मामलों में, वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूची–चार में यथा वर्णित दर से कम फीस प्रभारित की जा सकेगी.".

(2) नियम 105 के उपनियम (2) के परन्तुक में पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा कतिपय मामलों में, वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूची–चार में यथा वर्णित दर से कम फीस प्रभारित की जा सकेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र. एफ–02–02–2020–सात–शाखा–7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ–02–02–2020–सात–शाखा–7, दिनांक 1 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 1st July 2021

NOTICE

No. F. 02-02-2020-VII-Sec.7.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajswa Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of the said Section of the Code for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rule,—

(i) In proviso to sub-rule (2) of rule 94, full stop be substituted with colon and after the proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that a fee less than the rates as mentioned in Schedule-IV may be charged in certain cases as per the directions issued by the Commissioner, Land Records with the approval of the Finance Department.".

(ii) In proviso to sub-rule (2) of rule 105, full stop be substituted with colon and after the proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that a fee less than the rates as mentioned in Schedule-IV may be charged in certain cases as per the directions issued by the Commissioner, Land Records with the approval of the Finance Department.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.